क्र.	पशु आहार	पचामा	मांगलिया	शिवपुरी	बण्डोल	सागर
1	सुदाना पशु आहार	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
2	सुदाना सुपर पशु आहार	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00

नोट :- परिवहन व्यय अतिरिक्त ।

कृपया पूर्व पृष्ठ पर निर्देश टीप का अवलोकन हो। तदनुसार टीप निम्नानुसार है :–

क्र.	प्राप्त आवेदन में प्रस्तुत बिन्दु	अभिमत
1	न्यूनतम तीन टैंकर निविदाकार के पास उपलब्ध होने की शर्त।	तीन रोड मिल्क टैंकर्स के संचालन का अनुभव यथोचित नहीं है एक टैंकर का संचालन अनुभव पर्याप्त होगा। यदि न्यूनतम तीन टैंकर्स का उपयोग किया जाना है तब यह शर्त रखी जा सकती है अन्यथा एक रोड मिल्क टैंकर संचालन अनुभव पर्याप्त है। निविदा शर्त में अनुभव को परिभाषित किया जाना चाहिए।
2	निविदाकार को परिवहन कार्य का 05 वर्ष का अनुभव।	परिवहन कार्य का 05 वर्ष का अनुभव रखना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। एक वर्ष का कार्य अनुभव पर्याप्त होगा। निविदा शर्त में अनुभव को परिभाषित किया जाना चाहिए।
3	वाहन क्षमता का निर्धारण।	दुग्ध संघ अपने कार्यानुसार क्षमता निर्धारित कर रोड मिल्क टैंकर की निविदा निकाल सकता हैं।
4	निविदा भरने के पूर्व निविदाकार के पास टैंकर की उपलब्धता।	टैंकर की उपलब्धता न होने की स्थिति में निविदा भरने की अनुमति देने पर अनावश्यक विलंब/विवाद होता है निर्धारित क्षमता का एक रोड मिल्क टैंकर का मालिक होने पर ही निविदा भरने की पात्रता रखी जाना चाहिए।
5	प्रदेश वासियों को प्राथमिकता।	यह निविदा नियमों के विपरीत होगा।
6	लॉटरी सिस्टम।	लॉटरी सिस्टम तब लागू किया जा सकता है, यदि निविदा शर्त में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो अन्यथा निविदा कार्यवाही पारदर्शी नहीं मानी जावेगी।

उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

सहा. महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

ग्वालियर डेयरी संयंत्र– दुग्ध चूर्ण संयंत्र के स्तर पर दुग्ध चूर्ण निर्माण कार्य क्षमतानुरूप नहीं हो पाने के कारण सहकारी दुग्ध संघ भोपाल, बुदेलखण्ड (सागर) एवं जबलपुर को अपना अतिशेष दूध अन्यत्र से कनवर्जन कार्य हेतु भेजना पड़ रहा हैं। पूर्ण विवरण प्राप्त किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर दुग्ध संघ को दिनांक 30.09.2023 को प्रपत्र तैयार कर भेजा गया, जिस अनुसार जानकारी प्राप्त हो गई है।

माह सितम्बर 2023 में दुग्ध चूर्ण संयंत्र ग्वालियर के स्तर पर किए गए कनवर्जन कार्य के प्राप्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि माह सितम्बर 2023 में कुल 300 MT न्यूनतम SMP मात्रा का निर्माण होने के स्थान पर मात्र 172 MT दुग्ध चूर्ण की निर्माण किया गया है, जो कि अत्यंत कम हैं एवं निर्धारित क्षमता का मात्र 57 प्रतिशत ही है। वर्ष 2021 में दुग्ध चूर्ण संयंत्र का सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया हैं ताकि क्षमतानुरूप उत्पादन हो सकें ।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले चेतावनी पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

ग्वालियर डेयरी संयंत्र (दुग्ध चूर्ण संयंत्र) स्तर पर माह सितम्बर 2023 में दुग्ध चूर्ण उत्पादन विवरण –

क्र.	दिनांक	प्राप्त स्किम मिल्क मात्रा (कि.ग्रा.)	दुग्ध चूर्ण निर्माण मात्रा (कि.ग्रा.)	अन्य विवरण
01	01.09.2023			
02	02.09.2023			
03	03.09.2023			
04	04.09.2023			
05	05.09.2023			
30	30.09.2023			
कुल योग				

भोपाल दुग्ध संघ के स्तर पर B.O.T पद्धति से वायोगैस वॉयलर स्थापना के संबंध में कृपया माननीय मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की नोटशीट दिनांक 21.09.2023 का अवलोकन हो। आदेशित किया गया हैं कि भोपाल दुग्ध संघ के स्तर पर B.O.T पद्धति से स्थापित किए जा रहे है। वायोमास वॉयलर अनुसार कार्यवाही समस्त दुग्ध संघों के स्तर पर की जावें। क्योंकि इस पद्धति अपनाने से जैसे कि भोपाल दुग्ध संघ की वार्षिक आमसभा में अवगत कराया गया है अनुमानित लगभग राशि रूपये 2.5 करोड़ की बचत होगी ।

प्रकरण पर कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 3189 दिनांक 26.09.2022 का अवलोकन हो सूचित किया गया है कि ''भोपाल मुख्य डेयरी संयंत्र स्तर पर B.O.T मॉडल पर आधारित वायोमास वॉयलर स्थापित करने की नियमानुसार कार्यवाही कर एमपीसीडीएफ को अवगत करावें, तत्पश्चात अन्य दुग्ध संघों के डेयरी संयंत्रों पर उक्त मॉडल अनुसार वॉयलर स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

उपरोक्त कार्यवाही एमपीसीडीएफ स्तर पर गठित तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई, गठित समिति ने पटना डेयरी जाकर उक्त नवीन पद्धति का अध्ययन किया एवं अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की। पटना डेयरी में उक्त प्रकार का बॉयलर स्थापित कर उपयोगित हैं ।

अतः उक्तानुसार B.O.T पद्धति पर वायोमास वॉयलर के भोपाल दुग्ध संघ में स्थापित होने के बाद उपयोग करने एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ की performance report प्राप्त होने के बाद ही अन्य दुग्ध संघों में उक्तानुसार कार्यवाही संपादित की जा सकेगी। तदनुसार ही माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया जाना होगा ।

उपरोक्तानुसार नस्ती अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

क्योंकि जिस प्रकार से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में B.O.T पद्धति से वायोमास वॉयलर की स्थापना की जा रही है। उसी तकनीक का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि इस पद्धति अपनाने से जैसे कि भोपाल दुग्ध संघ की वार्षिक आमसभा में अवगत कराया गया है कि इस पद्धति को अपनाने से अनुमानित लगभग राशि रूपये 2.5 करोड़ की बचत होगी।

कृपया पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 2322 दिनांक 16.06.2023 का अवलोकन हो जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के Extended Producer Responsibilitty (EPR) के अंतर्गत Central Pollution Control Board (CPCB) पोर्टल पर पंजीकरण करना एवं प्लास्टिक मटेरियल की खपत का विवरण देने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने हेतु समस्त दुग्ध संघों को पत्र लिखा गया है । तदनुसार मात्र उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जानकारी प्रेषित की गई हैं।

अतः उक्तानुसार भोपाल/ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ बुंदेलखण्ड(सागर) सहकारी दुग्ध संघों को भेजे जाने वाले स्मरण पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

RKVY अंतर्गत भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन डेयरी संयंत्रों पर स्थापित सौर गर्म जल संयंत्रों के संचालन से प्राप्त बचत के मूल्यांकन की जानकारी के संदर्भ में दुग्ध संघ भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन को पत्र क्रमांक 2439 दिनांक 26.06.2023 एवं स्मरण पत्र प्रेषित किए गए केवल उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार इंदौर एवं भोपाल डेयरी संयंत्रों के स्तर पर ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से स्थापित सौर गर्म जल संयंत्र की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु भेजे जाने वाले स्मरण पत्र की स्वच्छ प्रतियां हस्ताथरार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

विषय : ग्वालियर दुग्ध संघ के स्तर पर करवाएं गए कनजर्वजन देयकों का भुगतान।

1. पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 14.09.2023

ग्वालियर दुग्ध संघ के स्तर पर बुंदेलखण्ड (सागर) दुग्ध संघ द्वारा करवाएं गए कनवर्जन कार्य के विरूद्ध एवं क्रय किए दूध के समायोजन पश्चात बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा ग्वालियर दुग्ध संघ को राशि रू. 24.37 लाख का भुगतान किया जाना है। तत्संबंध में ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा एमपीसीडीएफ को निवेदन किया गया है। तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुंदेलखण्ड (सागर) दुग्ध संघ से चर्चा की गई उनके द्वारा बताया गया कि उनको ग्वालियर दुग्ध संघ से श्वेत मक्खन प्राप्त किया जाना शेष है, जिस कारण भुगतान नहीं किया गया है।

ग्वालियर दुग्ध संघ की वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ को भुगतान करने हतु सूचित किया जाना होगा। तदनुसार पत्र प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

2. पत्र क्रमांक 2635 दिनांक 04.09.2023 ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा ग्वालियर डेयरी संयंत्र के स्तर पर करवाए गए कनवर्जन कार्य के देयक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पूर्णतः भुगतान नहीं किए गए है। जिस बावत् ग्वालियर प्रवास दौरान भी चर्चा की गई थी।

एमपीसीडीएफ द्वारा पूर्व निर्धारित नीति/ आदेशानुसार भुगतान किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को सूचित किया जाना होगा। तदनुसार भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पत्र क्रमांक 8190 दिनांक 11.09.2023 का अवलोकन हो सूचित किया गया है कि दुग्ध संघ के अतिशेष दूध के कनवर्जन कार्य हेतु चार बार ई–निविदा कार्यवाही करने के उपरांत भी मात्र दो निविदाकार मेसर्स पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड, मक्सी एवं मेसर्स डिलाईट डेयरी लिमिटेड, देवास द्वारा दरे प्रस्तुत की गई है :–

S.No.	Description of Work	M/s Pawanshree	M/s Delight Dairy
1	Conversion of Charges of SMP	Rs. 26.25	Rs. 26.25
2	Conversion Charges of pasteurized White Butter	Rs. 11.75	Rs. 13.65
3	Packaging Material for SMP	_	Rs. 2.95
4	Packaging Material For White Butter	_	Rs. 2.95

सूचित किया गया है कि नेगोशिएशन उपरांत भी दरों में संबंधित द्वारा कमी नहीं की गई हैं ।

प्रकरण पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा एमपीसीडीएफ से निम्नानुसार अनुरोध किया गया हैं :–

(अ) क्या अतिशेष दूध के कनवर्जन कार्य हेतु पंचम बार निविदा कार्यवाही की जावें।

(ब) भोपाल दुग्ध संघ अपना अतिशेष दूध इंदौर दुग्ध संघ को भेजे एवं उज्जैन दुग्ध संघ अपना अतिशेष दूध अनुमोदित/ अनुबंधित निजी संयंत्र को भेजे।

उपरोक्तानुसार लेख है कि दुग्ध संघों के अतिशेष दूध के कनजर्वन कार्य हेतु पूर्व से दिशा निर्देश प्रसारित है पत्र क्रमांक 4064 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा पुनः सूचित भी किया गया है।

दुग्ध संघों के स्तर पर निविदा प्रणाली अंतर्गत कार्यवाही हेतु एमपीसीडीएफ भण्डार क्रय प्रक्रिया निर्धारित है, जिस अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ को निर्णय लेना होता है। यह भी विचाराधीन है कि निविदा अंतर्गत प्राप्त दर एवं दरों का निर्धारण Rational आधार पर होना चाहिए।

अतः उपरोक्तानुसार एमपीसीडीएफ से पूर्व प्रेषित पत्रों के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया पूर्व पृष्ठ पर निर्देश टीप का अवलोकन हो। तदनुसार लेख है कि वर्ष 2005 से उप नियमों में यथोचित संशोधन उपरांत एक पेट्रोल पम्प, ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा संचालित है। वर्ष 2023 में जबलपुर दुग्ध संघ के स्तर पर एक नवीन पेट्रोल पम्प स्थापित कर प्रारंभ किया गया है। जबलपुर दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाइलॉज में आवश्यक संशोधन हेतु मौखित तौर पर सूचित कर दिया गया है।

एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों के बाइलॉज में पेट्रोल पम्प खोलने हेतु प्रावधान नहीं है केवल ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा पेट्रोल पम्प खोलने हेतु वर्ष 2005 में दुग्ध संघ के बाइलॉज में आवश्यक संशोधन करवाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र की स्वच्छ प्रतियॉ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

दुग्ध संघ– डेयरी संयंत्रों के स्तर पर Fire Safety के संबंध में दिनांक 22.08.2023 को प्रबंध संचालक से चर्चा की तदनुसार समस्त दुग्ध संघों को पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 1342 दिनांक 22.04.2022 एवं पत्र क्रमांक 3815 दिनांक 28.11.2022 की प्रति अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

M/s Amiri Incorporation Pvt Ltd., के देयको के निराकरण के संबंध में कृपया M/s Amiri Incorporation के पत्र दिनांक 12.07.2023 का अवलोकन हो उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को पत्र प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को पृष्ठांकित की है एवं निराकरण हेतु निवेदन किया गया है। M/s Amiri Incorporation एक स्टोरेज फर्म है, जिसके वेयरहाउस में भोपाल दुग्ध संघ द्वारा श्वेत मक्खन भण्डारित किया गया था ।

निर्देशानुसार उक्त नस्ती ई–ऑफिस सिस्टम के द्वारा पूर्व में प्रबंध संचालक को नस्ती प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप भी अनुमोदित किया गया, परन्तु हस्ताक्षर शेष हैं ।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व अनुमोदित प्रारूप अनुसार स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया मेसर्स थिंक गैंस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.07.2023 एवं 17.07.2023 का अवलोकन हो ई-मेल के माध्यम से उक्त पत्र भेजकर निवेदन किया गया है कि स्थापित पाईप लाइन से भोपाल डेयरी संयंत्र को पीएनजी सप्लाय प्रारंभ की जावें । एमपीसीडीएफ कार्यालय में प्राप्त इ-मेल प्राधिकृत अधिकारी एमपीसीडीएफ द्वारा प्रष्ठांकित भी किया गया है ।

प्रकरण पर समुचित कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को सूचित किया जाना होगा । अत: उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत । पूर्व में उक्त नस्ती ई-ऑफिस के माध्यम से तत्कालीन प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की गई ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

दुग्ध संघों के अतिशेष दूध के निस्तारण के संबंध में प्रबंध संचालक से दिनांक 17.08.2023 को चर्चा की अतिशेष दूध के निस्तारण के संबंध में पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 4091 दिनांक 22.12.2022 को दुग्ध संघों को पुनः पृष्ठांकित किया जाना हैं ।

अतः उपरोक्तानुसार दुग्ध संघों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों के स्तर पर सूचना का अधिकार ऑनलाईन किए जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों की जानकारी MPSEDC को पूर्व से प्रेषित है (पत्र क्रमांक 2807 दिनांक 19.07.2023) निरंतरता में MPSEDC से दिनांक 27.07.2023 को ई–मेल प्राप्त हुआ कि प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है एवं user name/password Mobile No. by default बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार नवागत प्रबंध संचालक के विवरण MPSEDC को भेजे जाने हैं एवं Default Mobile No. अधोहस्ताक्षरी का अंकित किया जाना होगा ताकि कार्य में सुविधा रहे।

तदनुसार निर्धारित प्रारूप हस्ताक्षरार्थ एवं MPSEDC को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

दिनांक 24.11.2021 को एमपीसीडीएफ स्तर पर आयोजित बैठक कार्वाही विवरण कण्डिका 10.7 का अवलोकन हो प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ द्वारा आदेशित किया गया कि ''दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्रों में स्थित शीतकेन्द्र/ मिनीडेयरी प्लांट में पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पम्प स्थापना के संबंध में अध्ययन कर दिनांक 10.12.2021 तक एमपीसीडीएफ को प्रतिवेदन प्रेषित करें''।

तदनुसार भोपाल दुग्ध संघ से सम्बद्ध दुग्ध शीतकेन्द्र बैतूल एवं आष्टा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड(एचपीसीएल) द्वारा स्थापित नियमों के तहत पेट्रोल पम्प खोंले जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पत्र क्रमांक 6736 दिनांक 28.07.2023 प्रेषित करते हुए एचपीसीएल (पत्र क्रमांक HPCL/DD/Sanchi dated 09.05.2023) के माध्यम से दुग्ध शीतकेन्द्र आष्टा एवं बैतूल में पेट्रोल पम्प खोले जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है एवं उक्त कार्य पर एमपीसीडीएफ की सहमति चाही गई हैं ।

अतः उपरोक्तानुसार एमपीसीडीएफ के भण्डार क्रय नियमानुसार यथोचित कार्यवाही पूर्ण करने की सहमति प्रदान की जा सकती है। तदनुसार पत्र प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

1. कृपया दिनांक 24.11.2021 को एमपीसीडीएफ स्तर पर आयोजित बैठक कर्यावाही विवरण कण्डिका 10.7 का अलवोकन हो प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ द्वारा आदेशित किया गया था कि ‘‘दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्रों में स्थित शीतकेन्द्र/ मिनीडेयरी प्लांट में पेट्रोल/डीजल/ सीएनजी पम्प स्थापना के संबंध में अध्ययन कर दिनांक 10.12.2021 तक एमपीसीडीएफ को प्रतिवेदन प्रेषित करें’’।

2. तदनुसार भोपाल दुग्ध संघ से सम्बद्ध दुग्ध शीतकेन्द्र बैतूल एवं आष्टा में एचपीसीएल द्वारा स्थापित नियमों के तहत पेट्रोल पम्प खोंले जाने के संबंध में कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पत्र क्रमांक 6736 दिनांक 28.07.2023 का अवलोकन हो। एचपीसीएल द्वारा दोनों दुग्ध शीतकेन्द्रों पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा एमपीसीडीएफ की सहमति चाही गई हैं।

3. पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा पत्र क्रमांक 5984 दिनांक 07.07.2023 प्रेषित किया था, जिस पर एमपीसीडीएफ से पत्र क्रमांक 2784 दिनांक 18.07.2023 प्रेषित करते हुए उनकी टीप सहमति एवं संलग्नक हेतु सूचित किया गया था।

4. अतः उपरोक्तानुसार एमपीसीडीएफ के भण्डार क्रय नियमानुसार यथोचित कार्यवाही पूर्ण करने की सहमति प्रदान की जा सकती है। तदनुसार पत्र प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया मेसर्स थिंक गैंस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.07.2023 एवं 17.07.2023 का अवलोकन हो ई-मेल के माध्यम से उक्त पत्र भेजकर निवेदन किया गया है कि स्थापित पाईप लाइन से भोपाल डेयरी संयंत्र को पीएनजी सप्लाय प्रारंभ की जावें । एमपीसीडीएफ कार्यालय में प्राप्त इ-मेल प्राधिकृत अधिकारी एमपीसीडीएफ द्वारा प्रष्ठांकित भी किया गया है ।

प्रकरण पर समुचित कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को सूचित किया जाना होगा । अत: उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया भोपाल दुग्ध संघ स्तर पर अतिरिक्त श्वेत मक्खन स्टोरेज हेतु पूर्व अनुमोदित निविदाकार M/s Amiri Incorporation के पत्र दिनांक 12.07.2023 का अवलोकन हो उनके द्वारा निविदा शर्त में उल्लेखित minimum level of storage of quantity of white butter संबंधी देयकों के भुगतान हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को सूचित करते हुए प्रतिलिपि प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को पृष्ठांकित की गई है ।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संघ के पत्र 5984 दिनांक 07.07.2023 का अवलोकन हो। एमपीसीडीएफ स्तर पर पूर्व में आयोजित बेठक में प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत दुग्ध संघों के डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र की अनुपयोगी भूमि पर पेट्रोल पम्प स्थापना कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सूचित किया गया है कि एचपीसीएल के पत्र दिनांक 09.05.2023 अनुसार दुग्ध शीतकेन्द्र बैतूल एवं आष्टा में पेट्रोल पम्प स्थापित किया जा सकता है। परन्तु उक्त पत्र एमपीसीडीएफ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ हैं एवं न ही कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल, दुग्ध संघ की टीप अंकित है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

इंदौर दुग्ध संघ के स्तर पर पाउच फिल्म क्रय संबंधी पूर्व में जारी निविदा के संबंध में श्री पुनीत जयसवाल, फायनेंस मैनेजर, M/s Soparkar & Kothari Technologies Private Limited द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 01.07.2023 एवं 03.07.2023 का अवलोकन हो। M/s Soparkar & Kothari Technologies Private Limited द्वारा इंदौर दुग्ध संघ द्वारा जारी की गई पाउच फिल्म क्रय निविदा में कुछ विसंगतियों का लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण पर लेख है कि पाउच फिल्म क्रय संबंधी कार्यवाही एमपीसीडीएफ की क्रय शाखा अंतर्गत प्रारंभ की गई है। अतः प्रकरण पर क्रय शाखा के स्तर से विवेचना कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

कृपया मेसर्स थिंक गैस द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को प्रेषित पत्र दिनांक 29.06.2023 का अवलोकन हो पत्र के द्वारा मेसर्स थिंक गैस द्वारा भोपाल डेयरी संयंत्र में सीएनजी स्टेशन लगाने हेतु निवेदन किया गया है ताकि शीघ्र ही भोपाल डेयरी संयंत्र को मेसर्स थिंक गैंस द्वारा पीएनजी की सप्लाई प्रारंभ हो सके।

1. कृपया डिप्टी कमिश्नर, भारत शासन डेयरी विभाग का पत्र क्रमांक M-02022/76/2017-CDD-part(5) (E-17620) दिनांक 04.07.2023 का अवलोकन हो उनके द्वारा देशभर के डेयरी फेडरेशंस को पत्र प्रेषित कर एडवाईजरी जारी की गई है कि डेयरी संयंत्र में स्थापित बॉयलर्स में पीएनजी का उपयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जावें, जो कि पर्यावरण अनुकूल एवं कम लागत में उपलब्ध गैस ईंधन है।

   उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 पर प्रस्तुत पत्र अवलोकनार्थ एवं बिन्दु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में समस्त दुग्ध संघों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

प्रबंध संचालक

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर पर एचपीएलसी के प्रस्ताव अनुसार एक पेट्रोल पंप स्थापित किये जाने बावत् सहमति एवं अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि :

1. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर में पूर्व से पेट्रोल पंप स्थापित है एवं ठच्ब्स् द्वारा संचालित है।
2. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को पेट्रोल पंप हेतु प्राधिकृत अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
3. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ पर पेट्रोल पंप स्थापित किये जाने से संघ को अतिरिक्त आय रूपये 01 लाख प्रतिमाह प्राप्त होगी।
4. संघ के तीन लोगों को कार्य मिलेगा।
5. यदि जमीन लीज़ पर दी जाएगी तो, सालाना 05 लाख की राशि संघ को आय प्राप्त होगी।
6. पेट्रोल पंप पर बनने वाले फेक्ट्री गेट पार्लर भी रिनोवेट होगा। जिसमें सांची की ब्राडिंग भी होगी, प्रोडक्ट बिकेंगे।
7. संघ पर खाली/अनुपयोगी पड़ी अतिरिक्त भूमि का सुदपयोग होगा।

इसी क्रम में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर द्वारा एक एचपीएलसी के पेट्रोल पंप स्थापित किये जाने हेतु समस्त लीगल औपचारिकता को पूर्ण किया जाने के साथ ही पेट्रोल पंप चलाने का व्यय अन्य विभागों यथा जिला प्रशासन, नगर निगम फायर, न–जूल, पीडब्लूडी, ट्राफिक, विद्युत सुरक्षा, एनएचएआई (यदि हाइवे पर है), पीसीबी नक्शा हेतु फायर एवं एक्स्प्लोसिव विभाग के साथ प्रमुखतः खाद्य विभाग से विभिन्न औपचारिकताओं को लिया जाना होगा।

अतः जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र पर एक एचपीएलसी पेट्रोल पंप स्थापित किये जाने बावत्, लीगल औपचारिकताओं तथा एमपीसीडीएफ के भण्डार/क्रय नियमानुसार तथा हानि/लाभ आदि की सुनिश्चिता करते हुए सहमति एवं अनुमोदन प्रदाय किया जाना उचित होगा।

सहायक महाप्रबंधक (संसं)

महाप्रबंधक (क्षेसं)

एमपीसीडीएफ का पत्र क्रमांक 549 दिनांक 08.02.2023 द्वारा जबलपुर मुख्य डेयरी संयंत्र में 30 klpd at 80^{o}C क्षमता एवं भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर दुग्ध संघों के अंतर्गत अन्य 10 मिनि डेयरी संयंत्रों में भी सौर गर्म जल संयंत्र स्थापना हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व सर्वे कार्य हेतु MPUVN से अनुरोध किया गया था।

पत्र के उत्तर में MPUVN द्वारा पत्र क्रमांक 5497 दिनांक 14.02.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त स्थानों में सर्वेक्षण की कार्यवाही जारी है एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन शीघ्र ही स्वीकृति एवं सहमति हेतु एमपीसीडीएफ को प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराने हेतु संबंधितों को दूरभाष पर सूचित किया गया हैं।

एमपीसीडीएफ की संयंत्र संचालन शाखा में बाहरी आगुन्तको के बैठने के लिए जो चार कुर्सियां है उनके कुशन दब जाने एवं कपड़ा फट जाने के कारण बहुत ही खराब दशा में है, जो कार्यालयीन गरिमा के अनुकूल नहीं है।

अतः उक्त चार कुर्सियों का कुशन एवं कपड़ा बदलना तथा मरम्मत कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रभारी (संसं)

प्रभारी (क्रय)

प्रस्तुत :

संयंत्र संचालन शाखा के कार्यालयीन उपयोग हेतु निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है ।

क्रमांक	**विवरण**	**मात्रा**
1	आलपिन पैकेट	01 पैकेट
2	यू क्लिप (स्टील)	01 पैकेट
3	बड़ी स्टेपलर	01 नग
4	स्टेपलर पिन (बड़ी)	01 पैकेट
5	टैग (छोटे)	01 पैकेट
6	स्केल स्टील 12 इंच	01 नग
7	फाईल ट्रे प्लास्टिक	03 नग
8	फ्लैग	01 पैकेट
9	ऑलपिन कुशन / बॉक्स	01 नग
10	पेन स्टैंड	01 नग
11	पेपर वैट	04 नग
12	फेविस्टिक	01 नग
13	टेबल ग्लास 4 फीट x 2 फीट	01 नग
14	सफेद तौलिया	01 नग
15	प्लास्टिक हैंडल युक्त टोंचा	01 नग

अतः कृपया उपरोक्त सामग्री यथाशीघ्र प्रदाय करें।

प्रभारी (संसं)

प्रभारी (क्रय)

दिनांक 09.01.2023 आयोजित बैठक हेतु कार्य सूची–

संयंत्र संचालन शाखा–

(अ) दुग्ध संघ भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन दुग्ध संघ के मिनी डेयरी संयंत्रों के स्तर पर सौर गर्म जल संयंत्र स्थापित किए जाने संबंधी चर्चा।

(ब) डेयरी संयंत्रों के स्तर पर कॉस्ट कटिंग हेतु समस्त दुग्ध संघों के प्रभारी (संयंत्र संचालन) की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही पर चर्चा।

क्रय शाखा–

(1) दुग्ध संघों के उपयोग की पाउच फिल्म की 30 प्रतिशत मात्रा का क्रय स्थानीय स्तर पर किए जाने हेतु निविदा कार्यवाही के संबंध में चर्चा।

(2) दुग्ध संघों के स्तर पर उपयोगित घी जार 5 कि.ग्रा./15 कि.ग्रा. की निविदा कार्यवाही। एमपीसीडीएफ स्तर से किए जाने बावत् चर्चा।

कृपया भोपाल डेयरी संयंत्र स्तर पर LPG के स्थान पर PNG का उपयोग प्रारंभ करने के उद्देश्य से मेसर्स थिंक गैस प्रा.लि., भोपाल के पत्र दिनांक 03.01.2023 का अवलोकन हो पत्र के द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को अवगत कराया गया है कि LPG के स्थान पर PNG एक किफायती एवं सुरक्षित ईंधन है, जिसका उपयोग भोपाल डेयरी संयंत्र में बॉयलर ईंधन के रूप में करना अत्यंत लाभकारी होगा।

प्रकरण पर कृपया नोटशीट पृष्ठ क्रमांक–63 पर टीप का अवलोकन हो माननीय प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ से प्राप्त नोटशीट दिनांक 16.12.2022 जिससे PNG का उपयोग तत्काल प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया गया है के तारतम्य में समुचित कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को पत्र क्रमांक 4181 दिनांक 30.12.2022 प्रेषित किया गया है।

अतः पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजा जाना होगा। तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रभारी (संसं)

प्रबंध संचालक